न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

कैम्प कार्ट :– ग्राम पंचायत लोहरवाडा (न्याय आपके द्वारा अभियान 2017)

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 63/2013

उनवान

1. रामप्रताप पि0 लादू
2. देवकरण
3. शोकरण
4. किशनलाल
5. ग्यारसीलाल पि0 उगमा
6. छोटू पुत्र लादू मुतक जरियें वारिस
6/1. रामनाथ
6/2. हंसराज
6/3. महावीर पि0 छोटू
7. रामदेव पुत्र उगमा
8. रामकुवांर
9. काना
10. लाला पि0 उगमा जाति जाट नि0 ग्राम सनोद, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र मुन्नालाल
2. मुन्नालाल पुत्र दीपचन्द जाति चौबे ब्राह्मण निवासी म0न0 722/31 नगरा, अजमेर।
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 व 2 अनुपस्थित
3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 अ राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू.रा.अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 13.6.17

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4136/ 5–5–0, 4137/ 7–18–0, 4142/15–0–0 की आराजी वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 25.5.79 व 24.4.79 को कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 1 से 5 को व प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी संख्या 6 से 10 को बैचान कर दिया था। उक्त आराजी में वादी संख्या 1 ने 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 ने 2/6 हिस्सा, वादी संख्या 6 ने 1/6 हिस्सा व वादी संख्या 7 से 10 ने

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट लोहरवाडा

/6 हिस्सा क्रय किया था। अतः उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी की खातेदारी हेतु वादीगण ने वाद पत्र पेश किया है।

बदोंबस्त विभाग ने विक्रय पत्र की पालना में उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 506/0.85, 507/1.27 व 510/2.43 वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी व उसके बाद गैर करनूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम उक्त आराजी नियमन कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है।

अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार विक्रय पत्र मे दर्ज हिस्सेनुसार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस जरियें अखबार साया तामील कराये गये।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश किया जो शमिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता वादीगण ने जाहिर किया कि वे वाद में कोई साक्ष्य नही पेश करना चाहते है।

बहस सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया।वादग्रस्त आराजी जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.4.79 व 25.5.79 को दो विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण को बेचान की थी। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम नियमन कर दी गयी। जबकि राज0 पैरोकार के जवाब अनुसार वादग्रसत आराजी पर केतागण का कब्जा है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पूर्व मं ही वादीगण को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र बैचान कर दी थी। एवं प्रतिफल राशि भी प्राप्त की थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र से बैचान के बाद विकता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में विक्रय पत्र पंजीकृत है।

वादग्रस्त आराजी का विक्रय पूर्व में किया गया एवं प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का नियमन बाद मे हुआ किन्तु धारा 43 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार भी प्रतिवादीगण को जिस दिवस में उक्त संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हुआ उससे पूर्व का विक्रय पत्र उसी संपत्ति बाबत विधिमान्य है।

प्रस्तुत वाद के खण्डन हेतु कोई तथ्य पत्रावली पर नही है। साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख व दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है।

अतः ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 506/0.85, 507/1.27 व 510/2.43 पर वादीगण का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। उक्त आराजी में वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 को 2/6 हिस्सा, वादी संख्या 6 को 1/6 हिस्सा व वादी संख्या 7 से 10 को 2/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.17 को कैम्प कोर्ट लोहरवाडा में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
नसीराबाद
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : लोहरवाडा

न्याय आपके द्वार 2017
कैम्प कार्ट :– ग्राम पंचायत लोहरवाडा

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

रामप्रताप वगै0 बनाम विनोद कुमार वगै0

दावा बाबत :– 88, 188, 91अ राज. का. अधि0 1955, व धारा 136 भू. राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 63/2013
पेश करने की दिनांक – 6.5.13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू सुश्री श्वेता कोचर (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 506/0.85, 507/1.27 व 510/2.43 पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी में वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 को 2/6 हिस्सा, वादी संख्या 6 को 1/6 हिस्सा व वादी संख्या 7 से 10 को 2/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 13 माह जून सन् 2017 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद